[17/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 799]

परिशिष्ट - "अ"

विधानसभा प्रश्न क्र 799

उपधारा (1) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, भू-अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों मे अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुये गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जायेगीं। परंतु कलेक्टर के लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जायेगी। उपधारा (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश- (क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये और (ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये, बिना पारित नही किया जायेगा। परंतु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। उपधारा(3) उपधारा (2) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

अनुभाग अधिकारी
राजस्व विभाग शाखा- 7